

संयुक्त निरीक्षण आख्या

प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 22/05/15 को याचक विभाग के श्री एमके0 अग्रवाल, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग, मुरादाबाद एवं श्री आलम राम आर्य, वन क्षेत्त्राधिकारी, बिलासी व श्री डा० बी०सी०ब्रह्मा, प्रमानीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, मुरादाबाद द्वारा प्रस्तावित स्थल का संयुक्त निरीक्षण किया गया, जिसमें 14.4852 हे० संरक्षित भूमि प्रभावित हो रही है एवं उक्त भूमि पर 454 बाघक वृक्षों का पतन निहित है। प्रस्तावित कार्य हेतु अपेक्षित संरक्षित भूमि की मांग न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है।

Bond C. Bhole
(डा० बी०सी०ब्रह्मा)
प्रमानीय निदेशक,
सा०वा० प्रभाग,
मुरादाबाद।

वन क्षेत्त्राधिकारी,
बिलासी।

(एमके० अग्रवाल)
परियोजना निदेशक,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,
मुरादाबाद।

अ प्रमानीय वनाधिकारी
सा० वा० प्रभाग
मुरादाबाद

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal
Act, 1960 provisions. A detail report as per para 15 of chapter-3, para C of
handbook of forest (Conservation) Act, 1980 is attached.